**परिपत्र**

**परिपत्र सं.: पीएफआरडीए /2026/41/आरईजी-पीओपी/07** **दिनांक : 30 जुलाई, 2026**

**सेवा में,**

सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अन्य हितधारक।

**विषय : पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 2(1)(ञ)(iv) के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के वितरण हेतु 'अन्य व्यक्तियों' को पेंशन अभिकर्ताओं (एजेंट) के रूप में संलग्न करने हेतु उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) को अनुमति प्रदान करने के संबंध में।**

यह परिपत्र, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 तथा उसके संशोधनों के अंतर्गत पेंशन अभिकर्ताओं की संलग्नता एवं परिचालन कार्यढाँचे के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र सं. पीएफआरडीए /2025/12/आरईजी-पीओपी/01 दिनांक 23 सितंबर, 2025, परिपत्र सं. पीएफआरडीए /2025/17/आरईजी-पीओपी/02 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025, परिपत्र सं. पीएफआरडीए /2026/20/आरईजी-पीओपी/04 दिनांक 20 मार्च, 2026 तथा परिपत्र सं. पीएफआरडीए /2026/26/आरईजी-पीओपी/05 दिनांक 12 मई, 2026 की निरंतरता में जारी किया जाता है।

2. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 45 के साथ पठित विनियम 2(1)(ञ)(iv) एवं अनुसूची-IV के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनियमित पेंशन योजनाओं के वितरण हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियों की संस्थाओं को पेंशन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

**(क) क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) :** उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), ऐसे क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को पेंशन अभिकर्ता के रूप में संलग्न कर सकते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन, संवर्धन अथवा मार्गदर्शन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएएफईडी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचीबद्ध, नियुक्त अथवा संलग्न किया गया हो।


5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

**(ख) सहकारी समितियाँ :** उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय अथवा राज्य के सहकारिता निबंधक (रजिस्ट्रार) के साथ पंजीकृत सहकारी समिति, सहकारी संघ अथवा सहकारी महासंघ को पेंशन अभिकर्ता के रूप में संलग्न कर सकते हैं। ऐसी संलग्नता इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), संबंधित सहकारी समिति, सहकारी संघ अथवा सहकारी महासंघ को पेंशन अभिकर्ता के रूप में संलग्न करने से पूर्व उसकी लाभप्रदता के आकलन सहित उन्नत समुचित सावधानी बरतेगा।

3. इस परिपत्र को, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 2(1)(ञ)(iv) के अंतर्गत पेंशन अभिकर्ताओं (एजेंट) की संलग्नता के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। पूर्व में जारी परिपत्रों में विनिर्दिष्ट अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथा-आवश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगी।

4. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

ASHISH KUMAR
Digitally signed by ASHISH KUMAR
Date: 2026.07.30 12:05:56 +05'30'

**आशीष कुमार**
मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग

*किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।*


5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

# CIRCULAR

**Circular No.: PFRDA/2026/41/REG-POP/07** **Date: 30 July, 2026**

**To,**

All Point of Presence (PoPs) and other stakeholders under the National Pension System (NPS)

**Subject: Permitting the Point of Presence (PoP) for engagement of 'other persons' as Pension Agents for distribution of Pension Schemes under Regulation 2(1)(j)(iv) of PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018**

This is in continuation of Circular No. PFRDA/2025/12/REG-POP/01 dated 23rd September 2025, Circular No. PFRDA/2025/17/REG-POP/02 dated 16th October 2025, Circular No. PFRDA/2026/20/REG-POP/04 dated 20th March 2026 and Circular No. PFRDA/2026/26/REG-POP/05 dated 12th May 2026, issued by the Authority from time to time regarding the engagement and operational framework of Pension Agents under the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 and amendments thereof.

2. In exercise of the powers conferred under Regulation 45 read with Regulation 2(1)(j)(iv) and Schedule IV of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018, the Authority hereby permits the following additional categories of entities to function as Pension Agents for distribution of pension schemes regulated under the PFRDA Act, 2013, subject to the conditions specified herein:

**a) Cluster-Based Business Organisations (CBBOs) -** PoPs may engage Cluster-Based Business Organizations (CBBOs) as Pension Agents, which are empanelled, appointed, or engaged by Central Government Ministries/Departments, State Governments, or other implementing agencies such as Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), National Cooperative Development Corporation (NCDC), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for formation, promotion, or handholding of Farmer Producer Organisations (FPOs).

**b) Co-operative Societies -** PoPs may engage Co-operative Society or Co-operative Union or Co-operative Federation, as Pension Agents, registered with Central or State Registrar under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 or Central or State Co-operative Societies Act. Such engagement shall be subject to the condition that the PoP shall undertake enhanced due diligence, including assessment of the profitability of the concerned Co-operative Society, Co-operative Union or Co-operative Federation, prior to its engagement as a Pension Agent.


5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

3. This Circular shall be read with the earlier circulars issued by the Authority related to engagement of Pension Agents under Regulation 2(1)(j)(iv) of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018. All other terms and conditions specified in earlier circulars shall continue to apply mutatis mutandis.

4. This circular is issued in exercise of powers conferred under Regulation 45 of PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 and Section 14 of the PFRDA Act, 2013, with the approval of competent authority.

Yours Sincerely,

ASHISH KUMAR
Digitally signed by ASHISH KUMAR
Date: 2026.07.30 12:06:53 +05'30'

**(Ashish Kumar)**
Chief General Manager
Regulation Contribution Management Department


5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**